राजस्थान सरकार

खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर

कान्स्टेबल खनिज संरक्षण बल सीधी भर्ती हेतु विज्ञप्ति

विज्ञापन संख्या 2013/4 दिनांक 20.7.2013

खान एवं भू विज्ञान विभाग में कान्स्टेबल खनिज संरक्षण बल के 1000 पदों पर राजस्थान खान एवं भूविज्ञान अधिनस्थ सेवा नियम, 1960 एवं संशोधन नियम 2013 के तहत सीधी भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थीयों से भर्ती हेतु लिखित परीक्षा के लिए ऑनलाईन आवेदन पत्र; (Online Application Form) आमंत्रित किये जाते है। ऑनलाईन आवेदन एवं परीक्षा का पूरा कार्यक्रम निम्नानुसार है।

कार्यक्रम

1. आवेदन पत्र का ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन एवं बैंक चालान जमा कराना	:	28.07.2013 से 19.08.2013
2. निर्धारित कलेक्शन सेन्टर में ऑनलाईन आवेदन की हार्ड कॉपी जमा कराने का अंतिम तिथी	:	30.07.2013 से 21.08.2013
3. वेब साईट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करना	:	08.09.2013 से
4. परीक्षा तिथी	:	15.09.2013 अपराह 2.00 बजे

आवेदक भर्ती परीक्षा हेतु आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह भर्ती हेतु निर्धारित अर्हताओं की पूर्ति करता हों। किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आवेदक निर्धारित अर्हताओं को पूर्ण नही करता है तो ऐसी स्थिति में परीक्षा के परिणाम अथवा वरियता सूची में स्थान प्राप्त होने के बावजूद भी वह योग्य नही माना जाएगा।

लिखित परीक्षा के पश्चात् वरियता सूची में निर्धारित स्थान प्राप्त अभ्यर्थियों को शारीरिक अर्हतता परीक्षण के लिए स्वयं को पात्रता के समस्त मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपनी योग्यता, आरक्षण हेतु अपनी दावेदारी को प्रमाणित करना होगा। गलत जानकारी देना, छिपाना, दस्तावेज प्रमाणित नही कर पाना, निर्धारित शारीरिक मापदंड की जांच में उर्तीण नही होने की स्थिति में किसी भी स्तर पर पात्रता निरस्त समझी जावेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

शारीरिक उपयुक्तता परीक्षा के लिए लिखित परीक्षा से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को वरीयता के कम में कुल विज्ञापित वर्गवार पदों से पॉच गुणा अभियर्थियों को आमंत्रित किया जावेगा ।

आवेदन प्रक्रिया

परीक्षा आवेदन : कान्सटेबल खनिज सरंक्षण बल भर्ती परीक्षा हेतु परीक्षा आवेदन पत्र कार्यालय की भर्ती की वेब साईट www.recmpf.org से आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व निम्न कार्य करे :

- आवेदक अपनी नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो और हस्ताक्षर को अलग अलग जेपीईजी (अधिकतम 100 केबी) को स्केन करे।

* आवेदक अपनी सीनियर सैकण्डरी अंकतालिका व प्रमाणपत्र, आरक्षण सम्बन्धि समस्त प्रमाणपत्र, (विधवा/तलाकशुदा/भूतर्पूव सैनिक/अनुसूचित क्षेत्र /सहरिया आदि) NCC/होमगार्ड अनुभव प्रमाणपत्र अपने साथ रखें।

ऑनलाईन आवेदन पत्र अभ्यर्थी स्वंय भरे। आवेदनपत्र किसी अन्यत्र जैसे साईबर कैफे ऑपरेटर/ ई-मित्र आदि द्वारा भरे जाने की स्थिति में अभ्यर्थी समस्त सूचनाएं अपने प्रमाणपत्रों के अनुसार आवेदन पत्र में सावधानीपूर्वक जांचने के पश्चात् ही OK करके हॉर्डकॉपी प्रिंट कि जावे। ऑनलाईन आवेदन में किसी भी प्रकार की त्रुटी अथवा गलत जानकारी देने पर वह स्वंय जिम्मेदार होगा।

वेबसाईट पर ऑनलाईन आवेदन पत्र उपलब्ध है जिसे भरते समय फोटो व हस्ताक्षर को अपलोड कर आवश्यक सूचना भरने के पश्चात हार्डकॉपी निम्नानुसार प्राप्त होगी –

(अ) आवेदन पत्र (ब) चालान

(अ) ऑनलाईन भरे हुये आवेदनपत्र की हार्डकॉपी व चालान निकाल कर निर्धारित परीक्षा शुल्क चालान द्वारा आईसीआईसीआई बैंक (पूर्व नाम "दी बैंक ऑफ राजस्थान") राजस्थान मे किसी भी शाखा में निर्धारित प्रिन्टेड चालान के साथ परीक्षा शुल्क प्रातः 10.00 बजे से सांय 3.00 बजे तक जमा करावें तथा बैंक से चालान की दो प्रतियां एवं ट्रांस्जेक्शन आईडी प्राप्त करे। परीक्षा शुल्क केवल बैंक चालान द्वारा ही जमा किया जायेगा । ध्यान रखें कि मनीऑर्डर/डीडी/नकद शुल्क अमान्य होगा।

(ब) आवेदक आवेदन पत्र की प्रिन्टेड हार्डकॉपी पर अपना नवीनतम फोटो लगावे एवं बैंक चालान की एक प्रति के साथ में हॉर्ड कॉपी में दिया हुआ आवेदन पत्र निर्धारित कलेक्शन सेन्टर पर जमा करावाकर आवेदन पत्र की छायाप्रति पर रसीद प्राप्त करे।

(स) धौलपुर जिले के लिये अभ्यर्थी किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का रेखांकित डिमाण्ड ड्राफ्ट कम्पट्रोलर RECMPF-2013 Udaipur के नाम बनवा कर बैंक चालान एवं आवेदन पत्र की फोटोप्रति के साथ संलग्न कर निर्धारित संग्रहण केन्द्र पर जमा करावें। (संग्रहण केन्द्र की जानकारी वेबसाईट पर उपलब्ध है)। अन्य किसी भी जिले के आवेदकों के लिए डिमाण्ड ड्राफ्ट मान्य नही होगा।

परीक्षा शुल्क

ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के पश्चात अभ्यर्थियो को निर्धारित आईसीआईसीआई बैंक की राजस्थान में किसी भी शाखा में चालान द्वारा रूपये 500/– (राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु रूपये 250/–) जमा कराना होगा ।

समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र उदयपुर होगा।

लिखित परीक्षा प्रवेश पत्र :

* विभाग द्वारा लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र ऑनलाईन ही जारी किये जाएगे। और डाक द्वारा कोई भी प्रवेश पत्र नही भेजे जाएंगे।

हेल्पलाईन नम्बर

आवेदन प्रकिया/परीक्षा सम्बन्धी जानकारी/मार्गदर्षन के लिए हेल्पलाईन टेलीफोन नम्बर 0294–5150714, 0294–5150715, 0294–5150716 व 0294–5150717 पर सम्पर्क करें ।

परीक्षा केन्द्र : लिखित परीक्षा दिनांक 15.09.2013 अपराह 2.00 बजे से 4.00 बजे तक जिला मुख्यालय के परीक्षा केन्द्रो पर आयोजित होगी। परीक्षा केन्द्र का पूर्ण विवरण प्रवेश पत्र पर अंकित किया जावेगा।

वेतनमानः क्रम संख्या–6, पी.बी. 1 (5200–20200) ग्रेड पे 1900 देय होगी

भर्ती हेतु रिक्त पद : कॉस्टेबल खनिज संरक्षण बल 1000

स्वीकृत पद 1000	अनु.जाति– 160				अनु.जनजाति– 120		अन्य पिछडा वर्ग–210				विशेष पिछडा वर्ग–10		सामान्य–500				योग
	महिला	भू0पू0सै0	खिलाडी	अन्य	महिला	अन्य	महिला	भू0पू0सै0	खिलाडी	अन्य	महिला	अन्य	महिला	भू0पू0सै0	खिलाडी	अन्य	
अनुसूचित क्षेत्र हेतु	1	–	–	3	11	25	–	–	–	–	–	–	12	–	–	28	80
सहरिया आदिम जाति हेतु	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
शेष	39	20	10म	87	29	55	40	10म 30 पु	10म	120	3	7	118	30म 30 पु	–	281	919
भर्ती के कुल पद	40	20	10म	90	40	80	40	10म 30 पु	10म	120	3	7	130	30म 30 पु	–	310	1000

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता

- मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सैकण्डरी ।
- यदि आवेदक, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के अलावा किसी अन्य बोर्ड से आयोजित सीनियर सैकण्डरी परीक्षा उर्तीण की हो तो इन परीक्षाओं को माध्यमिक षिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा समकक्षता की मान्यता प्राप्त होने पर ही वह प्रवश हेतु प्रात्र होगा। (अभ्यर्थी की समकक्षता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।)
- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर से पुरानी प्रणाली के अन्तर्गत हायर सैकण्डरी उत्तीर्ण आवेदन को भी अन्य शर्ते पूर्ण करने पर प्रवेश हेतु योग्य माना जावेगा।

3

कान्स्टेबल खनिज संरक्षण बल भर्ती हेतु आवश्यक शर्तें

1. विज्ञापित पदों में राजस्थान के अ.जा./अ.ज.जा. के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदो को अग्रनीत किया जायेगा जब तक यथास्थिति, राजस्थान के अजा./अ.ज.जा. के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जातें। किन्हीं भी परिस्थितियो में राजस्थान के अ.जा./अ.ज.जा. के अभ्यर्थियो के लिये आरक्षित पदों को अन्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जायेगा।
2. राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यो के अ.जा./अ.ज.जा./पि.व./वि.पि.व. के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा।
3. विभाग द्वारा भरे जाने वाले उक्त रिक्त पदों में महिला, भूतपूर्व सैनिक एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु आरक्षित पद का आरक्षण दण्डवत रूप से होगा, परन्तु जिस प्रवर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध होगें उसे सम्बन्धित प्रवर्ग में, जिसके वे अभ्यर्थी हैं, उसे उस ही प्रवर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा। महिला अभ्यर्थियों के लिये रिक्ततियों का आरक्षण प्रवर्गानुसार 30 प्रतिशत होगा, जिसमें से 8 प्रतिशत विधवा महिला अभ्यर्थियों तथा 2 प्रतिशत परित्यक्ता महिला अभ्यर्थियों के लिए होगा।
4. किसी वर्ग (सामान्य,अनुसुचित जाति, अनुसुचित जन जाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग) के पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होनें की दशा में उस पद को उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।
5. विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी जाति (अ.जा./अ.ज.जा./पि.व./वि.पि.व) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम एवं आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
6. राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होनें पर इन पदो को नियमानुसार सामान्य प्रकिया से भरा जाएगा।
7. उत्कृष्ट खिलाड़ियो से अभिप्रेत हैं और उसमें सम्मिलित है, राज्य से ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अर्न्तराष्ट्रीय ओलम्पिक समिति और भारतीय ओलम्पिक संघ, द्वारा मान्यता प्राप्त स्पोर्टस और खेलों में या बैडमिन्टन, टेनिस, शतरंज और क्रिकेट में उनसे सम्बन्धित राष्ट्रीय स्तर के संघ, फैडरेशन या बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त अर्न्तराष्ट्रीय चैम्पियनशिपों में निम्नलिखित विवरणानुसार व्यक्तिशः या टीम के सदस्य के रूप में भाग लिया हो :–

   एशियाई खेलों, एशियाई चैम्पियनशिपों, राष्ट्रमण्डल खेलों, विश्व चैम्पियनशिपों, विश्व के विश्वविद्यालय खेलों, विश्व स्कुल खेलों दक्षेस खेलों या ओलम्पिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया हो, जहां उसने (किसी व्यक्तिगत आईटम में) या उसकी टीम ने(टीम स्पर्धा में) प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त किया हों।

8. अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक उपयुक्तता, विशेष अर्हता के आधार पर होगा जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में अर्हित होंगे, वे ही शारीरिक उपयुक्तता हेतु पात्र होंगे ।
9. विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विभाग द्वारा विज्ञापित पदों की संख्या मे कमी या वृद्वि की जा सकती हैं।
10. पेंशनः–नये नियुक्त होने वाले कर्मचारियों पर अशंदायी पेंशन योजना लागु होगी।
11. राज्य सरकार की अधिसुचना प.1(2)एफ.डी./रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006 एवं प.12(6)एफ.डी./रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार एवं वित्त विभाग की अधिसुचना संख्या प.11(7) वित्त (नियम) 2008 दिनांक 12.09.2008 के नियम 21(अनुसुची–4)के अनुसार 2 वर्ष की परिविक्षा प्रशिक्षण अवधि के लिये नियत पारिश्रमिक पर नियुक्ति दी जावेगी।

12. ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्य भार स्वीकार करता है, परिविक्षा की कालावधि के दौरान, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियत दर से मासिक नियत, पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा। भर्ती नियमों में उल्लेखित परिविक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की दिनांक से ही नियमित वेतन श्रंखला एवं भत्ते देय होगे।

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:– किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण ।

आयु:– राजस्थान खान एवं भूविज्ञान अधिनस्थ सेवा नियम, 1960 एवं संशोधित नियम 2013 के अनुसार आवेदक 1 जनवरी 2014 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 23 वर्ष का नहीं हुआ हो, परन्तु यह कि उपर उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में :–

1 अनुसुचित जाति/अनुसुचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को, जो राजस्थान के मूल निवासी है, के मामले मे आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

2 सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छुट दी जायेगी।

3 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थी हेतु 10 वर्ष की छूट दी जायेगी ।

4 राज्य कर्मचारी पुरूष अभ्यर्थी को 3 वर्ष तथा महिला राज्य कर्मचारी अभ्यर्थी को 8 वर्ष की छूट होगी ।

5 रिजर्विस्टों अर्थात रिजर्व में स्थानान्तरित रक्षा कार्मिकों और भूतपूर्व सैना कार्मिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष होगी।

भूतपूर्व सैना कार्मिकों हेतु राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के नियमानुसार उच्चतम आयु सीमा 42 वर्ष में सैन्य कास/वीरचक या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिलन योग्य होगी।

6 विधवाओ और विछिन्न–विवाह महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।

स्पष्टीकरण : विधवा महिला के मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी से अपने पति की मृत्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विछिन्न विवाह महिला के मामले मे उसे विछिन्न विवाह की डिकी/न्यायिक सबूत प्रस्तुत करना होगा।

7 एन.सी.सी. के कैडिट–प्रशिक्षको के मामले मे अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एन.सी.सी. मे की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जायेगी और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जायेगा।

8 भूतपूर्व कैदी के मामले में, जो दोषसिद्वि से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी (Substantive) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमो के तहत नियुक्ति का पात्र था, के लिये अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगीं।

9 अन्य भूतपूर्व कैदी के मामले में, जो दोषसिद्वि से पूर्व अधिकायु का नहीं था और इन नियमों के अन्तर्गत नियुक्ति के लिए पात्र था, के मामले मे कारावास मे व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी।

<u>नियुक्ति के लिये अयोग्यता:–</u>

1 किसी भी ऐसे पुरूष/महिला अभ्यर्थी को जिसके एक से अधिक जीवित पत्नि/पति हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती हैं, यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार हैं।

2 किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरूष से विवाह किया हैं, जिसके पहले जीवित पत्नि है, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती हैं,यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार हैं।

3 किसी भी विवाहित पुरूष/महिला अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा, यदि अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा। स्पष्टीकरण–इस नियम के प्रयोजन हेतु दहेज से वहीं तात्पर्य होगा, जो दहेज प्रतिषेध एक्ट, 1961(सेन्ट्रल एक्ट, 28 ऑफ 1961) में है।

4 राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.6(19)गृह –13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है।

5 राजस्थान लोक सेवा आयोग/राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित किये गये ऐसे आवेदक जिनके वंचित होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति के अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस पद हेतु आवेदन नहीं कर पाएगें ।

6 ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके 1.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा ।

परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये तब तक निर्हित नही समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नही होती : – परन्तु यह और कि जहां किसी भी अभ्यर्थी के पूर्वत्तुर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते है वहा बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुये बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा।

7. अभ्यर्थी लिखित व मौखिक सिफारिश करवाता है तो नियुक्ति के लिये अयोग्य माना जावेगा ।
8. अपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जावेगे ।
9. राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देश सर्वथा लागू होगे ।

<u>लिखित परीक्षा एवं शारीरिक उपयुक्तता विवरण :–</u>

परीक्षा दो भागों में होगी । केवल वे अभ्यर्थी जो, परीक्षा के भाग–I में अर्हित होते हैं, परीक्षा के भाग–II में उपस्थित होने के लिए पात्र होंगे ।

परीक्षा के भाग–I के लिए अनुज्ञात अंक और समय निम्नानुसार होगा :–

भाग–I लिखित परीक्षा

प्रश्न पत्र की अन्तर्वस्तु	अधिकतम अंक	समय	अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हक अंक		
			सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/ विशेष पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति	सहारिया और टी.एस.पी. क्षेत्र की अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति
(क) युक्ति और तर्क (ख) सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और समसामयिक विषय (ग) राजस्थान का इतिहास, भूगोल, संस्कृति एवं कला	75	2 घंटे	45	40	36

परीक्षा के भाग–II के लिये बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या परीक्षा के भाग–I में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों की संख्या के पॉच गुना तक निर्बंधित की जायेगी ।

परीक्षा सम्बन्धी आवष्यक जानकारियां समय–समय पर दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाषित की जायेगी । अभ्यर्थी इनसे सचेष्ठ रहें ।

भाग–II शारीरिक उपयुक्तता

(क) ऊंचाई, वजन और सीने का माप:

(1) उन अभ्यर्थियों को, जो परीक्षा के भाग–I में यथा उल्लिखित लिखित परीक्षा अर्हित करते हैं, ऊंचाई, सीना और वजन के माप के लिए बुलाया जायेगा । अभ्यर्थियों की ऊंचाई और सीने (महिला अभ्यर्थियों के मामले में वजन) का माप बोर्ड द्वारा, नीचे अधिकथित मानों के अनुसार लिया जावेगा:–

	पुरूषों के लिए	महिलाओं के लिए	पहाड़ी और जनजाति क्षेत्रों के पुरूषों के लिए
बिना फुलाया हुआ सीना (न्यूनतम)	81 से.मी.	–	79 से.मी.
फुलया हुआ सीना (न्यूनतम)	86 से.मी.	–	84 से.मी.
ऊंचाई (न्यूनतम)	168 से.मी.	152 से.मी.	160 से.मी.
वजन (न्यूनतम)	–	47.5 कि.ग्रा.	–

(2) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उन अभ्यर्थियों को, जिनकी ऊंचाई और सीने का माप 5 से.मी. तक कम है, उसी दशा में शारीरिक रूप से उपयुक्त समझा जायेगा जहां ऊपर यथा अधिकथित शारीरिक उपयुक्तता मानक रखने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त अभ्यर्थी अपेक्षित संख्या में उपलब्ध न हों ।

(3) सीने का फुलाव न्यूनतम 5 सेन्टीमीटर अपेक्षित है ।

(4) बारां जिले की शाहबाद और किशनगंज तहसीलों की सहारिया जनजाति के अभ्यर्थियों को शारीरिक रूप से उपयुक्त समझा जायेगा यदि :–

(क) कोई पुरूष अभ्यर्थी जिसकी उंचाई 160 सेन्टीमीटर से कम नहीं है और जिसक बिना फुलाया हुआ सीना और फुलाया हुआ सीना क्रमशः 74 सेन्टीमीटर और 79 सेन्टीमीटर से कम नहीं है: और

(ख) कोई महिला अभ्यर्थी जिसकी न्यूनतम ऊंचाई और वजन क्रमशः 145 सेन्टीमीटर और 43 किलोग्राम से कम नहीं है ।

(5) ऊंचाई/सीना माप या वजन के विहित मानकों को पूर्ण करने में विफल रहे अभ्यर्थियों का चयन नहीं किया जायेगा ।

(ख) शारीरिक दक्षता परीक्षण :

15 अंक

यह परीक्षण अर्हक प्रकृति का होगा । शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल रहे अभ्यर्थियों को 15 अंक दिये जायेंगे । शारीरिक दक्षता परीक्षण में प्राप्त अंकों को सफल अभ्यर्थियों की योग्यता अवधारित करने के लिए सम्मिलित किया जायेगा । अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षण अपने जोखिम पर देंगे ।

वे अभ्यर्थी जो शारीरिक दक्षता परीक्षण अर्हित नहीं करते हैं, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे । भूतपूर्व सेवा कार्मिकों का शारीरिक माप और शारीरिक दक्षता परीक्षण अन्य अभ्यर्थियों के ऐसे परीक्षण से पूर्व पृथक रूप से संचालिए किया जायेगा ।

शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए आवंटित अंकों और समय का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

पद	पुरूषों के लिए		महिलाओं के लिए		भूतपूर्व सेवा कार्मिक/सहारिया और टी.एस.पी. क्षेत्र की अनुसूचित जाति /अनूसूचित जनजाति		अंक
	पदचाल	समय	पदचाल	समय	पदचाल	समय	
कांस्टेबल खनिज संरक्षण बल	10 कि.मी.	65 मिनट	5 कि.मी.	35 मिनट	5 कि.मी.	35 मिनट	15

शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए केवल एक अवसर दिया जायेगा ।

भाग–III विशेष अर्हताएं

10 अंक

(1) विभिन्न एन.सी.सी. प्रमाण पत्र रखने वाले अभ्यर्थियों को निम्नानुसार अंक दिये जायेंगे (केवल अधिकतम उपलब्ध प्रमाणपत्रों के लिए) :–

(क) "सी" प्रमाणपत्र 5 अंक
(ख) "बी" प्रमाणपत्र 3 अंक
(ग) "ए" प्रमाणपत्र 2 अंक

अधिकतम अंक 5 तक निर्बंधित होंगे ।

(2) होम गार्ड :– अभ्यर्थी, जिन्होंने होम गार्ड स्वयंसेवक के रूप में सेवा की हो, को निम्नानुसार अंक प्रदान किये जायेंगे :–

(क) बॉर्डर होम गार्ड स्वयंसेवक जिसने दो वर्ष से अधिक के लिए सेवा की हो 5 अंक
(ख) नगरीय/ग्रामीण होमगार्ड स्वयंसेवक जिसने तीन वर्ष से अधिक के लिए सेवा की हो 3 अंक
(ग) नगरीय/ग्रामीण होम गार्ड स्वयंसेवक जिसने एक वर्ष से अधिक के लिए सेवा की हो 2 अंक

अधिकतम अंक 5 तक निर्बंधित होंगे ।

चयन सूची :

प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण और विशेष अर्हताओं में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर एक चयन सूची तैयार की जायेगी ।

योग्यता सूची :

बोर्ड उन अभ्यर्थियों के समस्त प्रवर्गों की, जिनके नाम चयन सूची में हैं, उनके द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों को परस्पर ग्रथित करते हुए योग्यता सूची तैयार करेगा ।

उपरोक्त विज्ञप्ति से सम्बन्धित अधिक जानकारी विभाग की वेब साईट www.recmpf.org पर उपलब्ध है।

निदेशक

20/7/13, 20/7/2013 20-7-13